

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक/कक्ष-03/बजट-1/0812-12-101/2019/4324

भोपाल, दिनांक 6/8/19

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार,
भोपाल/जबलपुर
2. वन संरक्षक कार्य आयोजना,
भोपाल/जबलपुर
3. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल
भोपाल/औबेदुल्लागंज/जबलपुर/बड़वाह/संधवा/नीमच
मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-2406-0101-0812-12 मजदूरी मद में अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2019-20।

—00—

विषयांतर्गत आपकी मांग को दृष्टिगत रखते हुये एवं बजट उपलब्धता के आधार पर मांग संख्या 10-2406-0101-0812-12 मजदूरी मद में वर्ष 2019-20 हेतु आपके द्वारा प्रेषित स्थाई कर्मियों की संख्या अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्न प्रपत्र अनुसार अतिरिक्त बजट आवंटन प्रदान किया जाता है:-

1. कृपया यह सुनिश्चित करें कि पूर्व में आवंटित राशि एवं अतिरिक्त आवंटित राशि से मात्र स्थाईकर्मियों के वेतन संबंधी भुगतान ही शामिल किया जावे। इस राशि से कोई अन्य भुगतान सम्मिलित न किया जावे। क्योंकि यह राशि आपके द्वारा स्थाईकर्मियों के संख्या के आधार पर माह जनवरी 2020 तक के लिये आवंटित की गई है। यदि आपके द्वारा इस मद में माह जनवरी 2020 के पूर्व अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो यह समझा जावेगा की आपने इस राशि से कोई अन्य मद का भी भुगतान शामिल कर लिया गया है।
2. इस आवंटित राशि में स्थाईकर्मियों को देय उपादान भुगतान/ग्रेज्युटी भुगतान आदि सम्मिलित है।
3. मेरे ध्यान में यह तथ्य सामने आया है कि कुछ वनमंडलों अंतर्गत स्थाईकर्मियों अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर लिये है एवं उनको शासन निर्देशानुसार ग्रेज्युटी/उपादान आदि का भुगतान किया जाकर सेवा निवृत्त कर दिये गये है। फिर भी आपके वनमंडल में श्रमिकों की संख्या जस की तस स्थिर है, जो वित्तीय नियम के विपरीत है। अतएव इस संबंध में भविष्य में सूक्ष्म परिक्षण कर स्थाईकर्मियों की वास्तविक संख्या अनुसार राशि की मांग करें।
4. यदि उक्त आवंटित राशि आपको कम पड़े तो कृपया इस संबंध में ठोस औचित्य जिसमें स्थाईकर्मियों की संख्या नाम सहित, देय वास्तविक राशि आदि शामिल करते हुये मांग पत्र प्रेषित करें।
5. कृपया यह सुनिश्चित करें कि आवंटित राशि से अधिक भुगतान कदापि न करें।

संलग्न:-आवंटन पत्रक।

(विभाष कुमार ठाकुर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक, भोपाल/जबलपुर/खण्डवा/उज्जैन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया वृत्त अंतर्गत आने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से उपरोक्तानुसार पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। अगर किसी आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है, तो उपरोक्तानुसार परीक्षण कर आपके अभिमत सहित मांग पत्र प्रेषित करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

मध्य प्रदेश, भोपाल
पृ0क्र0/कक्ष-03/बजट-1/0812-12-101/2019/4598 भोपाल, दि0 26/8/19

प्रतिलिपि:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी मण्डल भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वि.अ.) भोपाल

प्रपत्र-1

मांग संख्या 10-2406-01-101-0101-0812-2-000- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष 12-मजदूरी मद में अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2019-20 (राशि रूपयों में)

अ.क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	डी.डी.ओ. कोड	स्थायी कर्मियों की संख्या	एक माह की राशि दर प्रति स्थायी कर्मियों 18000/- से 20000/-)	माह जनवरी तक कुल राशि की आवश्यकता (10 माहों हेतु)	पूर्व आवंटित बजट	अतिरिक्त आवंटित बजट (जनवरी तक के लिये)
	1	2	3	4	5	6	7
1	व.म.अ. भोपाल सा.	0521003113	249	4980000	49800000	25816000	23984000
2	व.म.अ. औबेदुल्लागंज सा.	2941003004	124	2480000	24800000	9928000	14872000
3	मु.व.सं. अनुसंधान विस्तार भोपाल	0521003114	41	820000	8200000	3014000	5186000
4	व.सं. कार्य आयोजना भोपाल	0521003015	1	20000	200000	54000	146000
5	व.म.अ. जबलपुर सा.	1811003002	135	2700000	27000000	13030000	13970000
6	मु.व.सं. अनुसंधान विस्तार जबलपुर	1811003003	27	540000	5400000	1862000	3538000
7	व.सं. कार्य आयोजना जबलपुर	1811003005	9	180000	1800000	841000	959000
8	व.म.अ. बड़वाह सा.	2211003003	29	580000	5800000	2386000	3414000
9	व.म.अ. सैधवा सा.	0231003005	21	420000	4200000	1604000	2596000
10	व.म.अ. नीमच सा.	2701003001	17	340000	3400000	1122000	2278000
	योग :-		653	13060000	130600000	59657000	70943000

BK 6/3/19
(विभाष कुमार ठाकुर)

अपर प्रधान मुख्य वन संपरिक्षक (विला/बजट)

मध्यप्रदेश भोपाल